संख्याः 104/XVII(4)/2018-90/2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–**आयुक्त,**
गढ़वाल/कुमायूं मण्डल,
उत्तराखण्ड।

2–**समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

3–**समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,**
उत्तराखण्ड।

4–**समस्त नगर निगम/नगर पालिकाध्यक्ष/**
केन्टोमेन्ट बोर्ड/नगर पंचायत,
उत्तराखण्ड।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 19 जनवरी, 2018

विषयः– रिट याचिका (सिविल) संख्या–1224/2017 Innitiatives for inclusion foundation and anothers Vs Union of India and others के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के कियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2197/XVII(4)/2014/90/04 दिनांक 29.12.2014 द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रश्नगत रिट याचिका में Sexual Harrasment at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 read with sexual harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013 के तहत कार्यवाही/अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त याचिका में **सुनवाई की अगली तिथि 02.02.2018 निर्धारित** की गई है।

2– अतः इस सम्बन्ध में एडवोकेट ऑन रिकार्ड/स्टेडिग काउंसिल फॉर स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 16.01.2018 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत सुनवाई की उक्त तिथि से पूर्व अनुश्रवण/कियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या से 01 सप्ताह के भीतर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 104 (1)/XVII/2008-90/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, **महिला** एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रभारी एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8. सुश्री आरती बलोदी, राज्य परियोजना अधिकारी/नोड़ल अधिकारी, **महिला** एवं बाल विकास समिति, उत्तराखण्ड को शासन के पत्र संख्या–2185 दिनांक 27.11.2017 के अनुक्रम में उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
उप सचिव।